न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 77/2018/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. ममताबाई पुत्री राघूलाल पत्नि गिरिराज जाति मेघवाल हाल नि. नूरखेडी तहसील पिडावा

– प्रार्थीया

बनाम

1. कालूलाल पि. मांगीलाल जाति मेघवाल नि. बरखेडीकदीम तहसील पिडावा
2. रामलाल पि. मांगीलाल जाति मेघवाल नि. बरखेडीकदीम तहसील पिडावा
3. लोदियानबाई पत्नि दुलेसिंह जाति सोंध्यिा राजपूत नि. खजूरी तहसील पिडावा
4. सरदारसिंह पि. शिवसिंह जाति सोंध्यिा राजपूत नि. खजूरी तहसील पिडावा
5. भवानीसिंह पि. शिवसिंह जाति सोंध्यिा राजपूत नि. खजूरी तहसील पिडावा
6. बापूलाल पि. शिवसिंह जाति सोंध्यिा राजपूत नि. खजूरी तहसील पिडावा
7. सोहनबाई पुत्री शिवसिंह जाति सोंध्यिा राजपूत नि. खजूरी तहसील पिडावा
8. धापूबाई बेवा शिवसिंह जाति सोंध्यिा राजपूत नि. खजूरी तहसील पिडावा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री मसूद अहमद खान
वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 – श्री नीलकमल त्रिवेदी

आदेश दिनांक : 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम खजूरी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 429 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि जो कालूलाल , रामलाल , राघूलाल पि. मांगीलाल मेघवाल नि. बरखेडी कदीम के बहिस्सा 1/2 एवं शिवसिंह पि. रतनसिंह नि. खजूरी के 1/2 हिस्से की है। कालूलाल , रामलाल , राघूलाल पि. मांगीलाल 1/2 हिस्से के सहखातेदार होने से प्रत्येक का 1/6 हिस्सा का सहखातेदार राघूलाल वादिनी के पिता थे। अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थिया के पिता के भाई है। प्रार्थिया के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:13:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

राघूलाल का स्वर्गवास 15 साल पूर्व हो गया है। प्रार्थिया राघूलाल की एक मात्र वारीस होने से राघूलाल के 1/6 हिस्से की सहखातेदार है परन्तु प्रार्थिया की नाबालिग अवस्था का अनुचित लाभ उठाकर प्रार्थिया की मौजूदगी को छीपाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने 1/2 हिस्से में अपना नाम यानि 1/4 , 1/4 हिस्सा दर्ज करवा लिया जबकि अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा प्रार्थिया प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने नाम ज्यादा हिस्सा दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थिया के हितो व अधिकारो को हानि पहुँचाना चाहते है।

प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया केस है एवं न्याय व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थिया अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाक्षा से पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद तक ग्राम खजूरी की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 429 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि के किी भी भाग को खुर्द बुर्द या किसी रीति से मुन्तकिल आदि नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम खजूरी की जमाबंदी सं. 2056—59 के खाता सं. 24 , जमाबंदी सं. 2072—75 के खाता सं. 19 की नकल की प्रति पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री नीलकमल त्रिवेदी ने वकालातनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को गलत एवं अस्वीकार कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी वादग्रस्त नहीं है। प्रार्थिया कभी भी अप्रार्थीगण के यहां नही रही है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने पिता के समय से ही आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थिया का आराजी से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थीगण खातेदार टीनेन्ट होकर मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थिया का कभी आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन नहीं है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी नहीं है , अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी संत्र 2072—75 के खाता सं. 19 व नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की।

अप्रार्थी सं. 3 लगायत 8 की ओर से बवजे सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:13:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र , राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। जमाबंदी सं. 2056–59 के खाता सं. 24 के अनुसार प्रकरण में यह पाया कि ग्राम खजूरी की आराजी ख.नं. 429 रकबा 2 बीघा 17 भूमि कालूलाल, रामलाल, राघूलाल पि. मांगीलाल के नाम 1/2 हिस्से में सहखातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 19 में उक्त आराजी में राघूलाल का नाम दर्ज नहीं है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों अनुसार प्रार्थिया ममताबाई खातेदार राघूलाल की वारीस पुत्री है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो अनुसार पुत्री का अपने पिता की सम्पत्ति में हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी ग्राम खजूरी की आराजी ख.नं. 429 रकबा 2 बीघा 17 भूमि में प्रार्थिया का 1/6 हक व हिस्से अनुसार अधिकार निहित है।

आदेश

इस प्रकार प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया केस है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने की स्थिति में अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीया को है। अतः प्रार्थिया का धारा 212 राज.टीनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ता फैसला मूल वाद तक वे ग्राम खजूरी की आराजी ख.नं. 429 रकबा 2 बीघा 17 भूमि में प्रार्थिया का 1/6 हक व हिस्से की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:13:45 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2022

Scanned with OKEN Scanner